न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 140/2012

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. देवाराम		1. बाबुलाल पुत्र गुणेशराम
2. पारस		2. सुजाराम पुत्र हीरा जाति जाट निवासी खारिया नीव
3. नेमाराम		3. अमरती बेवा भंवरलाल
4. मोहन पुत्रान सुजाराम		4. रेखा पुत्री भंवरलाल पत्नी सुरेश जी
5. कमला		5. इन्द्रा पुत्री भंवरलाल पत्नी सुजाराम तमाम जातिगण जाट निवासीगण खारियानींव हाल धुन्धला तहसील सोजत
6. पुष्पा पुत्रीया सुजाराम जातिगण जाट निवासीगण खारियानींव तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		6. मिथलेशकंवर पत्नी जवानसिंह राठौड जाति राजपुत निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील जैतारण जिला पाली राज0
		7. रेणु कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी मेव तहसील सोजत जिला पाली राज0
		8. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम गहलोत अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री आनन्द भाटी श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 29/08/2024

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा ग्राम खारियानींव तहसील सोजत में रिवाईज सेटलमेंट से पूर्व के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 के अनुसार खसरा नम्बर 245, 252, 256, 739, 743, व 747 कुल खसरा 06 कुल रकबा 65 बीघा 02 बिस्वा की कृषि भूमि वादीगण के दादा हीरा पुत्र उम्मेद के नाम स्थित थी। उक्त खसरा नम्बर में सें खसरा नम्बर 739, 743, 747 के नये वर्तमान खसरा नम्बर 1481 रकबा 3.3800 हैक्टर बने। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 245 के नये खसरा नम्बर 171/1741 रकबा 0.'7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 522 रकबा 2.7100 हैक्टर खसरा नम्बर 523 रकबा 0.9800 हैक्टर बने। पुराने खसरा नम्बर 256 के नये खसरा नम्बर 529 रकबा 1.6500

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

बने जो कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.9500 हैक्टर के खातेदार वादी के दादा हीरा पुत्र उम्मेद थे।

मूल पुरूष हीरा पुत्र उम्मेद(फौत) के दो विधिक वारिसान 01 गुणेशराम व 02 सुजाराम हुए जिसमें गुणेशराम फौत हो चुके है। गुणेशराम के विधिक वारिसान 01 सुआ (पत्नि), 02 भंवरलाल (पुत्र), बाबुलाल (पुत्र) लीला (पुत्री) प्रेम (पुत्र) हुए जिनमें से भंवरलाल फौत हो चुके है। भवरलाल के विधिक वारिसान में अरमती(पत्नी) रेखा (पुत्री) व इन्द्रा (पुत्री) हुए जिनमें से भंवरलाल की पत्नि अमरती फोत हो चुकी है। इसी प्रकार हीरा के दुसरे पुत्र सुजाराम के विधिक वारिसान में कुकी (पत्नी) देवाराम (पुत्र), कमला (पुत्री) पारस (पुत्र) नेमाराम (पुत्र), मोहन (पुत्र) हुए ।

वादीगण के दादा हीरा पुत्र उम्मेद का स्वर्गवास होने से उनके पश्चात राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 237 दर्ज किया गया जिसमें मात्र गुणेशराम व सूजाराम का नाम ही दर्ज हुआ। जबकि वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक होने तथा वादीगण ने अपने दादा के जीवनकाल में ही जन्म से उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में वादीगण का हित निहित हो चुका था। वादीगण के दादा हीरा पुत्र उम्मेद के स्वर्गवास के पश्चात जानबूझकर वादीगण का नाम इन्द्राज नही किया जाकर मात्र प्रतिवादी संख्या 02 के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 237, 131 राजस्व रेकर्ड में इद्राज करवाया जो विधि विरूद्ध अवैध व शुन्य है। ततपश्चात प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये बैचान रजिस्ट्री दिनांक 10.08.2010 से वादस्थ भूमि का बैचान कर दिया जो वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध होने से एसनिशियों वोईड शून्य व अवैध है तथा इसकी पालना में इन्द्राज किये गये नामान्तरकरण संख्या 1137 व 1138 भी विधि विरूद्ध है। वादस्थ भूमि में वादीगण का तथा प्रतिवादी संख्या 02 का प्रत्येक का 1/2 का 1/7 यानि 1/14 वां हिस्सा खातेदारी का बनता है। इस प्रकार वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर सरहद मौजा खारिया नींव के वर्तमान खसरा नम्बर 1481 रकबा 3.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 171/1741 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 522 रकबा 2.7100 हैक्टर खसरा नम्बर 523 रकबा 0.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 1.6500 हैक्टर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.9500 हैक्टर की कृषि भूमि में में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा दिनांक 10.08.2010 को निष्पादित बेचान रजिस्ट्री को एबईनिश्यों वोईड एवं शुन्य किया जाकर उक्त वादस्थ भूमि में प्रत्येक वादीगण को 1/2 का 1/7 वां यानि 1/14 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद्ध किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

इस पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति वादी संख्या 01 ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि पैरा संख्या 01 व 02 स्वीकार है। वादीगण का जन्म उनके दादा के जीवनकाल में नही हुआ है। सुजाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में उनके पिता के देहान्त के पश्चात आया है। सुजाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व इनकी माता सुआदेवी दोनो अनपढ होने से नाजायज फायदा उठाता हुआ दोनो के हक हिस्से की भूमि का अपने स्वयं के पक्ष में एक आम मुख्तियारनामा तहरीर व तकमील करवाकर उक्त आम मुख्तियारनामा से बिना रूपयों के सुजाराम अपनी पत्नी कुकीदेवी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 बाबुलाल व उनकी माता सुआदेवी के हक हिस्से की भूमि का बेचान बाले बाले करवा दिया। जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 व उनकी माता को होने पर समाज के मौजिज व्यक्तियों को इक्टठा कर ऐसा नाजायज कृत्य करने का ओलम्बा दिलवाया गया तथा वापस बेचान रजिस्ट्री प्रतिवादी सख्या 01 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 02 सुजाराम व उसकी पत्नी कुकीदेवी से करवाने को कहा जिस पर उक्त सुजाराम व उसकी पत्नी कुकीदेवी ने पुनः बेचान रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड में भी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम का इद्राज राजस्व रेकर्ड में करवाया गया जो आजतक इन्द्राज बतौर खातेदार चला आ रहा है। प्रतिवादी की नियत बढती हुई भूमि की किमल से हो गई है। उक्त भूमि हडप करने की नियत से उक्त वाद पेश किया गया है। वादस्थ भूमि पर आज भी बाबुलाल का ही कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 02 को अकेले ही कृषि भूमि का बेचान करने का पूर्ण अधिकार होने से हीप्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में किये गये दोनो बेचान दस्तावेजात दिनांक 10.08.2010 को किये गये, जो कतई एबनिशियों वोईड शून्य व अवैध नही है। यह लिखना गलत है कि प्रतिवादी संख्या 02 ने बैचान के पश्चात भूमि का कब्जा नही सोपा है। लिहाजा वादी का वाद खाजिर किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी द्वारा पस्तुत जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया– वादस्थ भूमि वादीगण की पैतृक कब्जासुदा भूमि है।

(जिम्मे वादी)

2. आया– वादीगण के दादा हीरा पुत्र उम्मेदजी के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 सुजाराम ने विधि विरूद्ध तरीके से जानबूझकर राजस्व रेकर्ड में वादस्थ भूमि में फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 237, 131 विधि विरूद्ध अवैध व शून्य है।

(जिम्मे वादी)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

3. आया– वादस्थ भूमि पैतृक होने से प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित बैचान दिनांक 10.08.2010 एवनिईश्यॉ वोइड शून्य व अवैध है।

(जिम्मे वादी)

4. आया– वादीगण वादस्थ भूमि में 1/14 हिस्सा खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

5. आया– वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी है। (जिम्मे वादीगण)

6. आया– वादीगण का जन्म हीराजी के स्वर्गवास पश्चात हुआ होने से हीराजी की सम्पति में वादीगण का हिस्सा नही है।

(जिम्मे प्रतिवादी वादी 01)

7. आया– वाद वादीया म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी गण)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के मुख्य परीक्षण हेतु वादी स्वयं तथा अन्य तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं व अन्य बयान पीडब्ल्यु–1 से पीडब्ल्यु–0 05 तक कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 प्रस्तुत की जो प्रदर्श–01 है, खसरा मिलान प्रदर्श–02 है, नामा0 संख्या 237 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03 है, जमाबन्दी सम्वत 2042 से 45 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4 है, जमाबन्दी सम्वत 2042 से 45 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 05 है, जमाबन्दी सम्वत 2029 से 32 की प्रमाणित प्रति0 प्रदर्श–6 है, नामा0 संख्या 1137 प्रदर्श–7 व नामा. संख्या 1138 की प्रमाणित प्रति0 प्रदर्श–08 है, बाबूलाल के पक्ष में बेचान रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–9 है, खसरा नम्बर 1481 के संबंध में बाबूलाल के पक्ष मे हुई बेचान रजि0 प्रदर्श–10 है, नामा0 918 प्रदर्श–11 व नामा0 1045 प्रदर्श–12 है। जमाबन्दी सम्वत 2066 से 69 प्रदर्श–13 है, जमाबन्दी सम्वत 2066 से 69 की प्रमाणित प्रति0 प्रदर्श–14 है दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। जिरह प्रतिवादी शुन्य रही।

बहस वकुलाय सुनी गई। विद्धान अभिभाषक अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि सरहद मौजा खारिया नींव के वर्तमान खसरा नम्बर 1481 रकबा 3.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 171/1741 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 522 रकबा 2.7100 हैक्टर खसरा नम्बर 523 रकबा 0.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 1.6500

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

हैक्टर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.9500 हैक्टर की कृषि भूमि के खातेदार वादी के दादा हीरा पुत्र उम्मेद थे। वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक होने तथा वादीगण ने अपने दादा के जीवनकाल में ही जन्म से उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में वादीगण का हित निहित हो चुका था। वादीगण के दादा हीरा पुत्र उम्मेद के स्वर्गवास के पश्चात जानबूझकर वादीगण का नाम इन्द्राज नही किया जाकर मात्र प्रतिवादी संख्या 02 के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 237, 131 राजस्व रेकर्ड में इद्राज करवाया जो विधि विरूद्ध अवैध व शुन्य है। ततपश्चात प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये बैचान रजिस्ट्री दिनांक 10.08.2010 से वादस्थ भूमि का बैचान कर दिया जो वादीगण के हक् अधिकारों के विरूद्ध होने से एसनिशियों वोईड शून्य व अवैध घोषित किया जावे तथा इसकी पालना में इन्द्राज किये गये नामान्तरकरण संख्या 1137 व 1138 भी विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर वादस्थ भूमि में वादीगण का तथा प्रतिवादी संख्या 02 का प्रत्येक का 1/2 का 1/7 यानि 1/14 वां हिस्सा खातेदारी का बनता जिससे वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 1481 रकबा 3.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 171/1741 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 522 रकबा 2.7100 हैक्टर खसरा नम्बर 523 रकबा 0.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 1.6500 हैक्टर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.9500 हैक्टर की कृषि भूमि में में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा दिनांक 10.08.2010 को निष्पादित बेचान रजिस्ट्री को एबईनिश्यों वोईड एवं शुन्य किया जाकर उक्त वादस्थ भूमि में प्रत्येक वादीगण को 1/2 का 1/7 वां यानि 1/14 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद्ध किये जाने की ईशतदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने व्यक्त किया कि वादी द्वारा मात्र भूमि हडप करने की नियत से उक्त वाद पेश किया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 ने दुरभसंधि कर गलत तथ्य पेश कर वादी पेश किया है। वादीगण का जन्म उनके दादा के जीवनकाल में नही होने से वादीगण का वादस्थ भूमि पर कोई हक अधिकार निहित नही होता है। लिहाजा वादी का वाद खारिज किये जाने की ईशतदुआ की है।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा, साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण एवं जिरह प्रतिवादी पर लिये गये बयानात एवं स्वतंत्र गवाहो के बयानात तथा के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

1. आया– वादस्थ भूमि वादीगण की पैतृक कब्जासुदा भूमि है।

(जिम्मे वादी)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन भूराराम, अर्जूनराम, के बयान पीडब्यु 04 व 05 में स्वीकार किया कि वादस्थ भूमि पर वादीगण का ही कब्जा है। जबकि दस्तावेजी साक्ष्य बैचान रजिस्ट्री दिनांक 10.08.2010 प्रदर्श–9 में प्रतिवादी संख्या 02 सुजाराम व कुकी देवी द्वारा भूमि बैचान कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 को सुपुर्द करना अंकित किया है। वादी द्वारा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं के कब्जे काश्त के होने से पेश नही किये है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक प्रतिवादी संख्या 01 विरूद्ध वादी तय की जाती है।

2. आया– वादीगण के दादा हीरा पुत्र उम्मेदजी के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 सुजाराम ने विधि विरूद्ध तरीके से जानबूझकर राजस्व रेकर्ड में वादस्थ भूमि में फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 237, 131 विधि विरूद्ध अवैध व शून्य है।

(जिम्मे वादीगण)

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 प्रस्तुत की जो प्रदर्श–01 है, खसरा मिलान प्रदर्श–02 है, जमाबन्दी सम्वत 2042 से 45 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4 है, जमाबन्दी सम्वत 2042 से 45 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 05 है, जमाबन्दी सम्वत 2029 से 32 की प्रमाणित प्रति0 प्रदर्श–6 है, पेश की जिससे वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक होना स्पष्ट होता। वादीगण के दादा हीरा पुत्र उम्मेद का स्वर्गवास होने से उनके पश्चात राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 237 के जरिये गुणेशराम व सूजाराम का नाम ही दर्ज हुआ जबकि वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक होने अपने दादा के जीवनकाल में ही जन्म से उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में वादीगण का हित निहित हो चुका था जिससे वादीगण के दादा हीरा पुत्र उम्मेद के स्वर्गवास के पश्चात जानबूझकर वादीगण का नाम इन्द्राज नही किया जाकर मात्र प्रतिवादी संख्या 02 के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 237, 131 राजस्व रेकर्ड में इद्राज करवाया जो विधि विरूद्ध अवैध व शुन्य है। लिहाजा तनकी संख्या 02 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

3. आया– वादस्थ भूमि पैतृक होने से प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित बैचान दिनांक 10.08.2010 एबनिर्ईश्यों वोइड शून्य व अवैध है।

(जिम्मे वादीगण)

वादीगण के दादा हीरा पुत्र उम्मेद का स्वर्गवास होने से उनके पश्चात राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 237 के जरिये गुणेशराम व

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

सूजाराम का नाम ही दर्ज हुआ जबकि वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक होने अपने दादा के जीवनकाल में ही जन्म से उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में वादीगण का हित निहित हो चुका था जिससे वादीगण के दादा हीरा पुत्र उम्मेद के स्वर्गवास के पश्चात जानबूझकर वादीगण का नाम इन्द्राज नही किया जाकर मात्र प्रतिवादी संख्या 02 के नाम फौतदगी नामान्तरकरण संख्या 237, 131 राजस्व रेकर्ड में इद्राज करवाया जो विधि विरूद्ध अवैध व शुन्य मानते हुए तनकी संख्या 02 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की गई। यदि हिरा के जीवन काल में ही वादीगण का जन्म हो चुका है जिससे विधि अनुरूप वादीगण का नाम भी प्रतिवादी संख्या 02 के साथ वादस्थ भूमि में किया जाना चाहिए था जो नही किया जाकर मात्र प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दिया गया ओर उक्त विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने हक हिस्से अधिक भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 01 के नाम किया जो प्रारम्भतः शुन्य होने से एवनिईशियों वाईड है। जिससे तनकी संख्या 03 बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

4. आया– वादीगण वादस्थ भूमि में 1/14 हिस्सा खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

मूल पुरूष हीरा पुत्र उम्मेद(फौत) के दो विधिक वारिसान 01 गुणेशराम व 02 सुजाराम हुए जिसमें गुणेशराम फौत हो चुके है। जिससे गुणेशराम का 1/2 हिस्सा तथा सुजाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज निहित हुआ। सुजाराम के विधिक वारिसान देवाराम (पुत्र) का 1/14 वां हिस्सा, कमला (पुत्री) का 1/14 वां हिस्सा, पारस (पुत्र) का 1/14 वां हिस्सा, नेमाराम (पुत्र) का 1/14 वां हिस्सा, मोहन (पुत्र) का 1/14 वां हिस्सा बनता है अर्थात वादीगण का प्रत्येका 1/2 का 1/4 यानि सम्पूर्ण का 1/14 वा हिस्सा वादस्थ भूमि में खातेदारी का निहित है। जिससे तनकी संख्या 04 आंशित स्वीकार की जाती है।

5. आया– वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक है जिसमें वादीगण का जन्म से अपने दादा की भूमि में हक अधिकार निहित हो चुके है। जिससे वादी अपनी खातेदारी भूमि मे स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। लिहाजा तनकी संख्या 05 बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

6. आया– वादीगण का जन्म हीराजी के स्वर्गवास पश्चात हुआ होने से हीराजी की सम्पति मे वादीगण का हिस्सा नही है।

(जिम्मे प्रतिवादी वादी 01)

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही करने व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने से तनकी संख्या 06 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 बहक वादी तय की जाती है।

7. आया– वाद वादीया म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी गण)

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 , 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है जिसमें वाद पेश करने हेतु विधि में कोई समय सीमा अंकित नही होने से तनकी संख्या 07 विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद , जबाब दावा फहरिस्त नय दस्तावेज, कलमबद्ध किये गये बयानात का अवलोकन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत वादस्थ भूमि पुश्तैनी / पैतृक है। वादीगण का जन्म प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व शपथ पत्रों अनुसार हीरा पुत्र उम्मेद के जीवन काल में होने की पुष्टि होती है जिससे वादीगण का वादस्थ भूमि में अपने जन्म से ही हक हिस्सा निहित हो चुका है। जिससे वादस्थ भूमि में हीरा पुत्र उम्मेद के विधिक वारिसान में सुजाराम , देवाराम, कमला, पारस पुष्पा, नेमाराम, व मोहन प्रत्येक का 1/2 का 1/7 अर्थात सम्पूर्ण का 1/14 हक हिस्सा बनता है। जिससे नामा0 संख्या 237, खारिज किया जाना उचित समझते है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 सुजाराम द्वारा वादस्थ भूमि के खसरा संख्या 1481 रकबा 3.3800 हैक्टर भूमि में सें 1/2 हक हिस्से का बैचान प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में बैचान दिनांक 10.08.2010 को किया गया जो प्रदर्श– 10 है यह बैचान प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक किया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 02 को सम्पूर्ण भूमि में से 1/14 हक हिस्से के अनुसार 0.24 हैक्टर भूमि का ही बैचान करने का हक अधिकार था इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या द्वारा वादस्थ

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

भूमि के खसरा संख्या 171/1741 रकबा 0.70 हैक्टर भूमि के संबंध मे प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 10.08.2010 को जो बैचान किया गया जो प्रदर्श –09 है यह बैचान प्रतिवादीसंख्या 02 द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक किया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 02 को सम्पूर्ण भूमि मे से 1/2 का 1/7 यानि सम्पूर्ण का 1/14 हक हिस्से अनुसार 0.05 हैक्टर भूमि ही बैचान करने का हक अधिकार था । अर्थात प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में किये गये उक्त दोनो बैचान दिनांक 10.08.2010 में अपने हक अधिकार से अधिक किये गये बैचान को प्रारम्भत शुन्य निष्प्रभावी घोषित किया जाता व उक्त बैचान के आधार पर दर्ज नामा0 1137 व 1138 को खारिज किया जाना एव वादीगण प्रत्येक को 1/2 का 1/7 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/14 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त बैचान दिनांक 10.08.2010 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने हक अधिकार तक किये गये बैचान यथा 1/14 हक हक हिस्से तक का खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते है, इसी प्रकार वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 522 रकबा 2.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 523 रकबा 0.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 1.5600 हैक्टर कुल खसरा 03 कुल रकबा 5.2500 हेक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुजाराम के स्थान पर वादीगण के साथ सुजाराम प्रत्येक का 1/2 का 1/7 यानि सम्पूर्ण में 1/14 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचना अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा खारिया नींव में वादस्थ भूमि में वादस्थ भूमि में हीरा पुत्र उम्मेद के विधिक वारिसान में सुजाराम , देवाराम, कमला, पारस पुष्पा, नेमाराम, व मोहन प्रत्येक का 1/2 का 1/7 अर्थात सम्पूर्ण का 1/14 हक हिस्सा बनता है जिससे दर्ज नामा0 संख्या 237, खारिज किया जाता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 सुजाराम द्वारा वादस्थ भूमि के खसरा संख्या 1481 रकबा 3.3800 हैक्टर भूमि में सें 1/2 हक हिस्से का बैचान प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में बैचान दिनांक 10.08.2010 को किया गया यह बैचान प्रतिवादी संख्या 02 को सम्पूर्ण भूमि में से 1/14 हक हिस्से के अनुसार 0.24 हैक्टर भूमि का ही बैचान करने का हक अधिकार था इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या द्वारा वादस्थ भूमि के खसरा संख्या 171/1741 रकबा 0.70 हैक्टर भूमि के संबंध मे प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 10.08.2010 को जो बैचान किया यह बैचान प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक किया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 02 को सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 का 1/7 यानि सम्पूर्ण का 1/14 हक हिस्से अनुसार 0.05 हैक्टर भूमि ही बैचान

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

करने का हक अधिकार था उक्त दोनो बैयान दिनांक 10.08.2010 में अपने हक अधिकार से अधिक किये गये बैयान को प्रारम्भत शुन्य निष्प्रभावी घोषित किया जाता है तथा उक्त बैयान के आधार पर दर्ज नामा0 1137 व 1138 को खारिज किया जाता है। फलत: वादीगण प्रत्येक को वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 1481 रकबा 3.3800 हैक्टर, 171/1741 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 522 रकबा 2.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 523 रकबा 0.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 1.5600 हैक्टर की भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/2 का 1/7 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/14 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त बैयान दिनांक 10.08.2010 के आधार पर खसरा नम्बर 1481 व 171/1741 में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने हक अधिकार तक किये गये बैयान के आधार पर 1/14 हक हक हिस्से तक का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा मूर्तीब हो। बाद पालना पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत